

हुक्म

12-1-24


पत्रावली पेश हुई।
 उस हम दीगर आवश्यक कार्यो में
 व्यस्त है। अतः इत्तवा होकर पत्रावली
 आइन्दा 2-2-24 को पेश हो। 4

2-2-24

पत्रावली पेश हुई।
 वादीगण के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय में
 विचाराधीन राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान
 काश्तकारी अधिनियम वास्ते खातेदारी बंटवाड़ा एवं स्थायी
 निषेधाज्ञा को जरिये नोट प्रेस कर राजस्व वाद को खारीज करने
 का निवेदन किया है। वादी अधिवक्ता ने इस बाबत् आदेशिका
 पर अपने हस्ताक्षर किये।

वादीगण अधिवक्ता के निवेदन पर राजस्व ~~आवेदन~~ ^{वाद} को इसी स्तर
 पर नोट प्रेस करने पर खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


 सहायक कलेक्टर
 (SDO) धोरीमन्ना

Not p...
 8/1-

